भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2687
दिनांक 16 मार्च, 2026

इथेनॉल मिश्रण (ई20) और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन

2687 श्री लहर सिंह सिरोयाः
श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाणः
डा. सुमेर सिंह सोलंकीः
श्री नारायण कोरागप्पाः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत ने फरवरी 2026 तक सभी खुदरा बिक्री केन्द्रों में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण (ई20) का लक्ष्य आधिकारिक तौर पर प्राप्त कर लिया है और वर्ष 2030 तक ई30 की ओर बढ़ने के लिए रूपरेखा क्या है;

(ख) खाद्य सुरक्षा को प्रभावित किये बिना फीडस्टॉक संधारणीयता सुनिश्चित करने के लिए जी-वन योजना के अंतर्गत 2जी और 3जी इथेनॉल संयंत्रों के विकास को मंत्रालय किस प्रकार समर्थन दे रहा है;

(ग) वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के माध्यम से वर्ष 2026 में भारत और ब्राज़ील के बीच जैव ईंधन व्यापार के मानकीकरण तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के संदर्भ में प्राप्त विशिष्ट परिणाम क्या हैं;

(घ) क्या उच्च इथेनॉल मिश्रण को अनुकूल बनाने के लिए पुराने वाहनों के रेट्रोफिटिंग हेतु अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क): सरकार ने 'एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम' के तहत पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा दिया है। ' राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति – 2018,' 2022 में यथासंशोधित, में अन्य बातों के साथ-साथ, पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को वर्ष 2030 से घटाकर 'एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2025–26 (1 नवंबर, 2025 से 31 अक्टूबर, 2026 तक) कर दिया गया। सरकार के समन्वित प्रयासों के कारण, दिसंबर 2025 में 20% का यह लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। देश के मुख्य भू-भाग में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र की

तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के वे सभी खुदरा बिक्री केंद्र, जहाँ पेट्रोल बेचने की सुविधा उपलब्ध है, अब ई20 पेट्रोल वितरित कर रहे हैं। वर्तमान में, पेट्रोल के साथ एथेनॉल मिश्रण का स्तर 20% है।

(ख): सरकार 'प्रधानमंत्री जी-वन' (जैव ईंधन-वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण) योजना को लिग्नोसेल्युलोजिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक का उपयोग करके 'दूसरी पीढ़ी' (2जी) और 'तीसरी पीढ़ी' (3जी) के इथेनॉल के लिए परियोजनाओं सहित उन्नत जैव-ईंधन परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लागू कर रही है। इस योजना के तहत, उन्नत जैव-ईंधन उत्पादन के क्षेत्र में प्रौद्योगिकियों के विकास और उन्हें अपनाने हेतु अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) को बढ़ावा देने के साथ-साथ वाणिज्यिक व्यवहार्यता में सुधार लाने के लिए वाणिज्यिक स्तर की परियोजनाओं के लिए 150 करोड़ रुपये प्रति परियोजना और प्रदर्शन स्तर की परियोजनाओं के लिए 15 करोड़ रुपये प्रति परियोजना की वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है।

(ग): 'वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन' (जीबीए) में ब्राज़ील के बेलेम में आयोजित पक्षकारों का सम्मेलन (सीओपी) 30 के दौरान विभिन्न चर्चाओं, कार्यशालाओं और एक निवेशक मंच का आयोजन किया गया जिसके माध्यम से जैव-ईंधन की भूमिका और परियोजनाओं के वित्तपोषण को सुगम बनाने के लिए अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी), क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया। सीओपी 30 के दौरान, जीबीए ने ब्राज़ील सरकार के साथ वैश्विक जैव-ईंधन एजेंडे को आगे बढ़ाने, नीतिगत स्तर पर आने वाली बाधाओं को दूर करने और प्रौद्योगिकीय तटस्थता को बढ़ावा देने के लिए बैठक भी की थी। दोनों पक्ष सीओपी, 'अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन' (आईसीएओ) और 'विश्व व्यापार संगठन' (डब्लूटीओ) जैसे विभिन्न मंचों पर समन्वित नीतियों और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जैव-ईंधन को सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हुए ।

(घ) और (ङ): नीति आयोग के तहत दिनांक 26.12.2020 को गठित अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) ने, अन्य बातों के साथ-साथ, वाहनों की अनुकूलता और माइलेज के विभिन्न पहलुओं की जांच की थी। इस अध्ययन में अनुकूलता से जुड़ी कोई समस्या या ई20 का कोई नकारात्मक प्रभाव सामने नहीं आया। इस अध्ययन ने इस बात की पुष्टि की है कि पुराने वाहनों के प्रदर्शन में भी कोई विशेष बदलाव नहीं आता है और न ही उनमें कोई असामान्य टूट-फूट देखने को मिलती है जब इन्हें वाहन चलाने में आसानी, स्टार्ट होने में आसानी, धातु और प्लास्टिक के साथ अनुकूलता जैसे ई20 के मानकों के साथ चलाया जाता है।
